…ग न्यायालय

फर्द अहकाम

– न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

प्रार्थी
मक्खनलाल

अप्रार्थीगण
कुंजबिहारी उर्फ सोनू व अन्य

केस संख्या 60 / 23 (2023 / online number) बनाम

प्रार्थना पत्र अन्तर्गन्त धारा 212 आर.टी.एक्ट

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	17.07.2023	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने मय शपथ–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री राजेश कुमार शर्मा, ने उपस्थित होकर बताया कि अप्रार्थीगणों को यदि अविलम्ब व्यादेश से पाबंद नहीं किया गया तो इस प्रार्थना–पत्र का उद्ददेश्य विफल हो जाएगा। अतः अप्रार्थीगणों को बिना आवेदन की सूचना दिए एकपक्षीय सुनवाई कर व्यादेश जारी किया जावे। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्ट्रिया यह निर्धारण किया जाना संभव नहीं है कि खसरा नम्बर 659 / 1 एवं 659 की वास्तविक सीमाऍं क्या है। अतः बिना गुणावगुण पर विचार किये उभयपक्ष को अन्तरिम आदेश से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 659 / 1 एवं 659 वाके ग्राम कानोता पटवार हल्का कानोता भू–अभि0.नि0 क्षेत्र कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर की सीमा पर उभयपक्ष मौके की यथास्थिति बनाऐ रखने हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 24 / 07 / 2023 तक उभयपक्षो को पाबन्द किया जाता है। उपरोक्त खसरा नम्बर पर यदि पूर्व में कोई न्यायालय आदेश प्रभावी है तो उस आदेश की पालना पर कोई प्रभाव इस आदेश से नहीं होगा। तलबाना अप्रार्थी आज ही पेश करें। बाद जॉच सम्मन अप्रार्थी को जारी होकर प्रार्थी अधिवक्ता को दस्ती दी जावें। प्रार्थी / प्रार्थी अधिवक्ता जरिये रजि. डाक इस आदेश की प्रति के साथ प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा, सम्मन भेजकर डाक रसीद आगामी तारीख से पूर्व पेश करें। इस आशय का शपथ पत्र प्रार्थी / प्रार्थी अधिवक्ता आज ही पेश करें पत्रावली पुनः दिनांक 24 / 07 / 2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बस्सी,जयपुर	
	24/7/23	पत्रावली पेश हुई। P.O का दौरे / अन्य कार्य मे व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 31/7/23 को पेश हो।	
	31/7/23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। प्रार्थी वकील के द्वारा अप्रार्थीगण की तामील हेतु नोटिस पेश होने पर जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबाना हेतु दिनांक	

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	26/8/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रा. पत्र T.I. पर बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 28/8/25 को पेश हो।
	28/8/25	पत्रावली पेश वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं पूर्व बहस प्रार्थी वकील पर मनन पश्चात् पाते है कि वादग्रस्त भूमि ख.नं. 659 रकबा 0.8852 है व ख.नं. 659/1 रकबा 0.8852 हैक्टेयर वाके ग्राम कानोता तह० बस्सी जिला जयपुर में खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 है। उक्त खसरा नम्बरों के मध्य सीमा को लेकर विवाद है। अतः उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय हाजा द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को दिनांक 1 जनवरी 2023 को ताफैसला मूल दावा के Confirm किया जाता है कि उभयपक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 659/0.8852 व 659/1 – 0.8852 है वाके ग्राम कानोता

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

मक्खनलाल बनाम कुंजबिहारी

मुकदमा संख्या /वर्ष 60/25 : (2025/190)

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		तह० बस्सी जिला जयपुर के संबंध में उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 28/08/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। [signature] 28/8/25	